कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, सिवनी (म.प्र.)

Phone No. 07692 – 227423, Email ID dpmuseo-mp@nic.in

क्रमांक/एनएचएम/ एच.आर./2025 सिवनी, दिनांक -----

प्रति,

1. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सिवनी।
2. समस्स्त मुख्य खण्ड चिकितसा अधिकारी
   सिविल अस्पताल बरघाट/लखनादौन/केवलारी जिला सिवनी।
3. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी
   सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालगंज/कुरई/छपारा/धनौरा/घंसौर जिला सिवनी।

विषय :- संविदा कर्मचारियों के मेडीकल/प्रसूति/विशेष अवकाश के संबंध में।

उपरोक्त विषयातंर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी मानव संसाधन मेनुअल 2025 में किये गये प्रावधान अनुसार संविदा कर्मचारियों को मेडीकल अवकाश की पात्रता प्रदाय नही की गई है संविदा मानव संसाधन मेनुअल 2025 में उपरोक्तानुसार अवकाश की पात्रता दी गई है।

<u>मानव संसाधन मेनुअल 2025 की कण्डिका 7. अवकाश:-</u>

7.1 आकस्मिक अवकाश संविदा पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारियों को नियमानुसार एक केलन्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिवस की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।

7.2 एक माह में अधिकतम 3 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। 3 दिवस से अधिक दिवसों हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक माना जावेगा। विशेष परिस्थितियों में मिशन संचालक की पूर्वानुमति से 03 से अधिक दिवसों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु इस हेतु अवकाश में जाने के पूर्व आवेदन देना होगा। अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति नही दी जावेगी।

7.3 विशेष अवकाशः- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 22/07/2023 अनुसार संविदा कर्मचारी/अधिकारियों को एक वर्ष में 15 दिवस विशेष अवकाश की पात्रता होगी।

7.4 प्रसूति अवकाशः- संविदा महिला अधिकारी/कर्मचारियों को 180 दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। इस अवकाश की गणना लगातार होगी अर्थात इसे टुकडों में नही आवेदित किया जा सकेगा। यदि अवकाश अवधि एक से अधिक वित्तीय वर्षो में विस्तारित हो तो, अवकाश अवधि वित्तीय वर्षान्त तक होगी। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु (शेष अवधि हेतु) इसकी गणना अगली वित्तीय वर्ष में संविदा सेवा की निरन्तरता की स्थिति अनुरूप होगी।

7.5 संविदा सेवा के प्रथम वर्ष में लिया गया प्रसूति अवकाश अवैतनिक होगा। यदि कोई महिला कर्मचारी पूर्व में मिशन के अंतर्गत किसी अन्य पद पर एक वर्ष से अधिक कार्य कर चुकी हो तथा निरंतरता में मिशन के अंतर्गत वर्तमान में किसी अन्य पद पर कार्य कर रही हो तो ऐसी संविदा महिला कर्मचारी को नवीन संविदा के प्रथम वर्ष में भी सवैतनिक प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।

7.6 प्रसूति अवकाश प्रथम दो जीवित सन्तानों तक ही देय होगा। (संतान संबंधी दस्तावेज)

7.7 पितृत्व अवकाश पुरूष संविदा कर्मचारी/अधिकारियों को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी।

7.8 पितृत्व अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।

7.9 पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार राज्य स्तरीय कार्यालय की ओर से प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

7.10 प्रसूति अवकाश अथवा पितृत्व अवकाश स्वीकृत कराने हेतु आवेदक को अनुबंधकर्ता अधिकारी को आवेदन देना होगा। तदानुसार अनुमोदन उपरांत ही अवकाश स्वीकृत किया जा

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संसाधन मेनुअल 2025 में दिये गये निर्देशानुसार संविदा कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण का मिलान विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा किये जाने उपरांत ही अवकाश स्वीकृति योग्य अवकाश प्रकरण जिला कार्यालय प्रेषित किया जावे ताकि समय पर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-सिवनी म0प्र0

पृ. क्रमांक/एनएचएम/ एच.आर./2025 सिवनी, दिनांक -----

प्रतिलिपि:

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल।
2. समस्त विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. समस्त लेखा प्रबंधक की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि समस्त कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण का संधारण करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-सिवनी म0प्र0

File No. 1/1/2/0003/2025-O/oCMHO-COLL-SEO (Computer No. 717111)
Generated from eOffice by NEERAJ KUMAR YADAV, DCPHCC(NY)-O/oHEALTH_SEO, CONSULTANT, SEONI COLLECTORATE on 04/08/2025 11:25 am